



2026:AHC:67223

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या- 12976 वर्ष 2026

पंकज तिवारी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: नरेंद्र कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 81

माननीय न्यायमूर्ति श्री चव्हाण प्रकाश

1. आवेदक के अधिवक्ता को सुना, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत आवेदन धारा 74, 76, 115 (2), 352 बी.एन.एस., थाना-मौरानीपुर, जिला झांसी के साथ-साथ 24.02.2026 के संज्ञेय आदेश के साथ दिनांक 24.01.2026 के साथ आरोप पत्र दिनांक 24.01.2026 की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो दीवानी न्यायाधीश (एस.डी.) /ए.सी.जे.एम. न्यायालय संख्या-1, झांसी के समक्ष लंबित है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिपक्षी संख्या-2 का विवाह आवेदक के छोटे भाई नीरज तिवारी के साथ संपन्न हुआ था। वह अपने भाई के साथ नहीं रह रही है लेकिन वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है। नीरज तिवारी ने 17.04.2025 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13A(1) के तहत तलाक की याचिका दायर की। विपक्षी पक्ष संख्या-2 ने आवेदक और अन्य के खिलाफ 27.08.2025 को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12, 17, 18, 19, 20, 22 के तहत शिकायत केस संख्या-267 वर्ष 2025 दर्ज की। इसके बाद उसने आवेदक के खिलाफ धारा 74, 76, 115(2), 352 बी.एन.एस., थाना-मौरानीपुर, जिला झांसी के तहत केस अपराध संख्या-453 वर्ष 2025 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें कहा गया था कि 04.10.2025 को आवेदक उसके घर में घुस गया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। उसने पुलिस को फोन भी किया। प्रतिपक्षी संख्या-2 का बयान धारा 180 और धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के संस्करण का समर्थन किया था। पुलिस ने कुछ स्वतंत्र गवाहों कांस्टेबल कुलदीप सिंह यादव और शिवांशु बाजपेयी के बयान भी दर्ज किए, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद, आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जबकि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिए, आक्षेपित समन आदेश अवैध है और इसे रद्द किया जा सकता है।

4. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि प्रतिपक्षी संख्या-2 ने 04.10.2025 की एक घटना के संबंध में आवेदक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। प्रतिपक्षी संख्या-2 का बयान धारा 180 और धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किया गया था, जहां उसने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन किया था। पुलिस ने जांच के बाद आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अपराध आवेदक द्वारा किया गया था और विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और आवेदक को सही ढंग से तलब किया है। आक्षेपित समन आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं है।

5. इस मामले के तथ्य के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या-2 ने 04.10.2025 की एक घटना के संबंध में आवेदक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। प्रतिपक्षी संख्या-2 का बयान धारा 180 और धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किया गया था, जहां उसने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन किया था। पुलिस ने जांच के बाद, आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और आक्षेपित आदेश के माध्यम से आवेदक को तलब किया है। आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं है।

6. अभिलेखों पर मौजूद सामग्री और मामले के तथ्यों के अवलोकन से, इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया है। बार में



की गई सभी प्रस्तुतियाँ तथ्य पर विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिन पर इस न्यायालय द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. इस स्तर पर, **आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 66 हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एस.सी.सी. (आपराधिक) 426; और बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एस.सी.सी. (आपराधिक) 192** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में केवल प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया जाना चाहिए। इस स्तर पर आवेदक के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उपरोक्त मामले को रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता है, इसलिए, इसे रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जाता है और आवेदन **खारिज** किया जाता है।

मार्च 31, 2026

आरएमके

(न्यायमूर्ति चव्हाण प्रकाश)